

**Ants and foreign material found in bottles of Glucose**

1332. SHRI K. A. RAJAN:  
SHRI R. P. YADAV:  
SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ants and other foreign material were noticed in a bottle of life saving intravenous glucose in J. P. Hospital, Delhi;

(b) if so, whether any enquiry was made to find out the company which supplied these bottles; and

(c) if so, the details and action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes, objects like ants and other foreign material were found in some bottles of intravenous transfusion solution in Lok Nayak J. P. Hospital.

(b) and (c). The bottles were manufactured by Lok Nayak J. P. Hospital in their own intravenous transfusion manufacturing unit. The hospital authorities have since stopped the manufacturing of intravenous transfusion solution. The Delhi Administration has been requested to take necessary action against the concerned persons.

**पत्रकारों को रियायत**

1333. श्री छीतूभाई गामित: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सच है कि कुछ पत्रकारों को हाल ही में रेलवे द्वारा यात्रा करने की सुविधा देने संबंधी कोई रियायत प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री नरसिंहाचारी): (क) और (ख). हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि जिला मुख्यालय में प्रत्यायित पत्रकारों को वर्ष में एक बार वापसी यात्रा के लिए रेल रियायत प्रदान की जाये। यह रियायत दूसरे दर्जे के लिए 50 प्रतिशत और पहले दर्जे के लिए 15 प्रतिशत है। पत्रकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्धारित फर्म पर सम्बद्ध जिला जन सम्पर्क अधिकारी अथवा उस जिले के जिलाधीश का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख होना चाहिए कि चाहे रियायत वर्ष में एक ही बार प्राप्त की जा रही है। यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित मण्डल रेलवे मुख्यालय में, नामित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला रियायती आदेश जारी करने के लिए पेश किया जायेगा और मण्डल रेलवे मुख्यालय से रियायती आदेश प्राप्त करने के बाद नामित स्टेशन का स्टेशन मास्टर पत्रकार को रियायती टिकट जारी करेगा।

**Decrease in working days of rural workers**

1334. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the findings of 32nd round of National Sample Survey 1977-78 regarding decrease in working days of rural workers, women and children; and

(b) what steps are being taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) The National Sample Survey Organisation has conducted surveys on employment—unemployment in its 27th Round (October, 1972-September, 1973) and its 32nd round (July 1977—June, 1978). The results of these surveys are, however, not comparable. The 27th round covered the age group 5 years and above, whereas the 32nd round covered the age group 15—59 years. For the sake of comparability the data for the age

group 15—59 years for the two surveys are given below:—

Persons days (Million)

	27th round (Oct. 1972—Sept. 1973)		32nd round (July 77—June 78)	
	Male	Female	Male	Female
Rural . . . . .	99.12	43.86	104.85	40.03
Urban . . . . .	27.42	5.10	28.61	5.65

(b) A number of employment/beneficiary oriented programmes like the Small Farmers Development Programmes, the Drought Prone Areas Programmes, the Integrated Rural Development Programme and the Desert Development Programme for increasing the employment level of agricultural labour are being implemented. Side by side, self-employment promotion programmes and entrepreneurship development programmes including the District Centres Scheme, Food for Work Programme, Operation Flood II Programme, training programmes for the rural youths etc., initiated over the past few years have been creating and will continue to create employment opportunities. The 20 Point Economic Programme which had benefited the poor, the landless, the artisans, the handloom weavers, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other socially backward classes is being revitalised and implemented. Agriculture and rural development, with special emphasis on assistance to small and marginal farmers as well as agricultural labourers, are to receive priority in the Government's strategy for rural development.

श्रमिकों के विवादों पर होने वाले व्यय में भागीदारी

1335. श्री छोटूभाई गामित: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत श्रमिक विवादों

पर होने वाले व्यय को कर्मचारी तथा नियोजक दोनों के द्वारा ही समान रूप से वहन करने की व्यवस्था हो;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विवाद नियोजक के विरुद्ध ही होते हैं और व्यय को केवल श्रमिकों को ही वहन करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टो. अंजैया) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जब श्रम न्यायालयों या औद्योगिक अधिकरणों को मामले भेजे जाते हैं, तब विवाद के पक्षकार उनका प्रतिवाद करने के लिए अपना प्रबन्ध स्वयं करते हैं। इस समय न तो नियोजकों और न ही संबंधित श्रमिकों के पास दूसरे पक्षकार से वह खर्च लेने का कोई कानूनी अधिकार है, जो उन मामलों में किया जाए।

तिब्बत के विवाद को हल करने के लिए चीन द्वारा प्रस्ताव

1336. श्री छोटू भाई गामित: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के विवाद को हल करने के लिए चीनी नेताओं ने एक प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दलाई लामा द्वारा भी कोई संकेत किया गया है; और